221

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

17618
29.11.16

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा, में,

S.S (UHM)

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद्, औरंगाबाद
जिला– औरंगाबाद

प्रधान सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र
29 NOV 2016
प्राप्ति तिथि
बिहार, पटना

महाशय,

नगर परिषद्, औरंगाबाद के वर्ष 2014–15 से 2015–16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 243 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

S.O. 7
30.11.16

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

प्रधान सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र पंजी
30 NOV 2016
13285
संख्या.........
बिहार, पटना

भवदीय,

– ह0 –
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0/1461/289 दिनांक– 25.11.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, औरंगाबाद

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

नगर परिषद, औरंगाबाद

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 243/16–17

भाग –I

प्रस्तावना

1.	निरीक्षित कार्यालय का नाम	नगर परिषद, औरंगाबाद
2.	लेखा वर्ष	2014–15 एवं 2015–16
3.	अंकेक्षण अवधि	18.04.2016 से 03.05.2016
4.	लेखापरीक्षा का परिक्षेत्र–	परिशिष्ट–I और II पर संलग्न
5.	लेखा परीक्षा दल के सदस्य	1. श्री ओम प्रकाश सिंह, स0ले0प0अ0 2. श्री राजेश कुमार II, स0ले0प0अ0 3. श्री मोहनीश भास्कर, पर्यवेक्षक
6.	निरीक्षण पदाधिकारी का नाम	श्री एस0एन0 मिश्रा, व0ले0प0अ0
7.	कार्यालय प्रधान का नाम	श्री विमल कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी
8.	क्या कार्यालय प्रधान के साथ विचार– विमर्श हुआ	हाँ, दिनांक 03.05.2016 को
9.	लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेख	परिशिष्ट–I
10.	लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेख	परिशिष्ट–II
11.	लेखा परीक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ	परिशिष्ट–VII

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार लेखा परीक्षा, बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

12. **प्रशासन**

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम	पद का नाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री शत्रुन्जय कुमार मिश्रा	कार्यपालक पदाधिकारी	01.04.2014	21.09.2014
2	श्री पुरूषात्तम पासवान	कार्यपालक पदाधिकारी	25.09.2014	28.08.2015
3	श्री विमल कुमार	कार्यपालक पदाधिकारी	28.08.15	अब तक

क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम	पद का नाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्रीमति श्वेता गुप्ता	मुख्य पार्षद	01.04.2014	अब तक

क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम	पद का नाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्रीमति उर्मिला सिंह	उपमुख्य पार्षद	01.04.2014	अब तक

279

13. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा का अनुपालन प्रतिवेदन

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया।

14. वित्तीय अधिदृश्य

अगले पेज पर

15. लेखा परीक्षा का परिणाम. परिशिष्ट –

1. अंकेक्षण के दौरान वसूली गयी राशि– शून्य
2. अंकेक्षण द्वारा वसूली हेतु सुझाई गयी राशि–₹ 1869163
3. अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि–₹ 36778063

14. वित्तीय अधिदृश्य (2014–15)

Receipt & Payment Statement (Nagar Parishad, Aurangabad)													
	2014-15						2015-16					(in ₹)	
	OB as on 01.04.14	Receipt	Interest	Total Receipt	Expenditure	CB as on 31.03.15	OB as on 01.04.15	Receipt	Interest	Total Receipt	Expenditure	CB as on 31.03.16	Remarks
Slum Dev. Fund	9070253	34778916	585353	44434522	1013266	43421256	43421256	11629501	1587478	56638235	55825618	812617	
IHSDP						0	0	10578000	0	10578000	560000	10018000	
14th FC						0	0	23861911	0	23861911	13735000	10126911	
NULM	0	7482659	58675	7541334	340120	7201214	7201214	900000	0	8101214	150000	7951214	
CS	633546	0	0	633546	163083	470463	470463			470463		470463	
4th SFC						0				0		0	separate cash book and pass book is not maintained for this scheme
13th FC	4949146	9766440	170685	14886271	2664690	12221581	12221581	7566325	715209	20503115	12768913	7734202	
Swachh Bharat Mission (SBM)				0		0	0	4200000	0	4200000	510000	3690000	
AMRUT	0	0		0		0	0	17790000		17790000	0	17790000	
BRGF	2552155	3832294	142132	6526581	2430339	4096242	4096242	2532443	194810	6823495	1254165	5569330	

२१

भाग–II खण्ड(क)

कंडिका(1)–होल्डिंग रसीद की राशि 359777 का कैशियर कैश बुक में नहीं पाया जाना

नगर परिषद, औरंगाबाद के लेखाओं के लेखापरीक्षा के कम में पाया गया कि बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पत्रांक–4(न)विविध–89/12/4340 दिनांक 14.12.12 को होल्डिंग टैक्स के मूल्यांकन, संग्रहण एवं वसूली वाहय एजेंसी से कराने के लिए विभाग द्वारा चार प्रतिशत कमीशन पर कर संग्राहक की नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया, जिसके परिपेक्ष्य में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दिनांक 25.4.14 को श्री भरत ठाकुर, सचिव प्रियंका स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान मदनपुर, जिला–औरंगाबाद (बिहार) के साथ एकरारनामा किया गया, जो प्रायोगिक तौर पर 6 (छहः) माह के लिए होना था तथा इसमें सफल होने पर इसकी अवधि विस्तार किया जाना था । इसकी वैधता अक्टूबर 2014 तक की ही थी परन्तु रसीद से ज्ञात होता है कि अक्टूबर 2015 तक राजस्व संग्रहण किया गया, वो भी बिना अवधि विस्तार के ही। 33 वार्डो में कुल 9367 होल्डिंग का आउट्‌ सोंसिंग के आधार पर राजस्व संग्रहण किया जाना था। साथ ही सुरक्षित जमा राशि (सिक्युरिटी मनी) भी जमा नहीं किया गया था और जिसके लिए दिनांक 24.5.14 को आवेदन किया गया कि सुरक्षा जमा 6 माह के अंदर किस्त में करके जमा किया जायेगा। राजस्व संग्राहक द्वारा वसूली गयी राशि साप्ताहिक रूप से प्रत्येक सोमवार को नगर परिषद नजारत में निश्चित रूप से जमा करेगें। परन्तु होल्डिंग रसीद (वर्ष 2014–15 से 2015–16) के लेखा परीक्षा के दौरान कैशियर कैश बुक में राशि नहीं पाया गया, जो निम्न प्रकार है–

क0 सं0	होल्डिंग रसीद सं0 एवं तिथि				वसूली गई राशि (₹)	जमा की गयी राशि (₹)	अभ्युक्ति
	Receipt No From	To	Date of Start	Date of End			
1.	7501	7600	18.6.14	30.3.15	28774	20403	
2.	7601	7700	9.6.14	29.7.14	27307	0	
3.	7701	7800	24.6.14	30.1.15	23678	0	
4.	7801	7900	16.6.14	27.10.14	13376	0	
5.	7901	8000	10.6.14	24.7.14	68793	0	
6.	8001	8100	17.7.14	17.3.15	68095	1394	
7.	8101	8200	12.6.14	18.11.14	22016	0	8193 to 8200 unused
8.	8201	8300	7.7.14	4.9.14	75183	0	
9.	8301	8400	7.8.14	1.9.14	20432	0	
10.	8401	8500	7.8.14	28.9.14	183514	0	
11.	8501	8600	19.8.14	18.10.15	14886	91509	
12.	8601	8700	31.9.14	27.11.14	49365	0	
13.	8901	9000	18.3.15	71.10.15	2121	124277	
14.	9001	9100	25.9.14	4.12.14	25485	620	
15.	9101	9200	N/A	N/A		0	Not presented before Audit

16.	9201	9300	30.11.14	27.9.15	8284	1984	9290 to 9300 unused
17.	9401	9500	20.9.14	27.3.15	26866	3142	
18.	9501	9600	N/A	N/A		0	Not presented before Audit
19.	9601	9700	28.2.15	5.10.15	4753	110369	
20.	9701	9800	27.10.14	30.11.14	50547	0	
				Total	**713475**	**353698**	**359777 not deposited by collector**

आउट सोर्सिंग के आधार पर राजस्व संग्रहण करने के अनुमति देने से पूर्व सुरक्षित जमा का न लिया जाना आर्थिक संकट को निमंत्रण देने के समान है। कथित एन.जी.ओ. द्वारा होल्डिंग रसीद से एकत्र की गयी राशि नगर परिषद के रोकड़ बही में नहीं पायी गयी, जिससे नगर परिषद को कम से कम रू0 3,59,777 राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई। कई रसीद बुक तो अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत ही नही किया गया।

बिहार कोषागार संहिता के नियम 86 के अनुसार प्रत्येक 15 वीं एवं माह के अंत में रोकड़ बही का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया।

उत्तर में बताया गया कि आपत्ति राजस्व संग्रहकर्ता एन0जी0ओ0 से संबंधित और अद्योहस्ताक्षरी के कार्यकाल के पूर्व का मामला है। जानकारी मिली है कि एन0जी0ओ0 द्वारा पूर्व में संग्रहित राशि सीधे SBI Reveue collection A/C में जमा किया जाता था तथा कुछ राशि नजारत में जमा किया गया है। कुल संग्रहित राशि और जमा राशि का मिलान करने का निदेश संबंधितों को दिया गया है। अगले अंकेक्षण दल को अवगत कराया जाएगा।

उत्तर मान्य नही है, क्योंकि कितनी राशि जमा की गयी है इससे संबंधित कोई साक्ष्य कार्यालय द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। यह मामला सीधे राशि के संग्रहन से जुड़ा है तथा उपरोक्त परिस्थितियाँ कार्यालय स्तर की शिथिलता को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में राशि के गबन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान परिस्थितियों में राशि रू0 3,59,777 संबंधित व्यक्तियों से वसूलनीय है।

अतः राशि रु 359777 की वसूली कर अद्यतन स्थिति से लेखा परीक्षा कार्यालय को अवगत करावें।

भाग– I I (ख)

कंडिका(2)–संपूर्ण सफाई व्यवस्था आउटसोर्स किए जाने के बावजूद सफाई उपकरण की खरीद पर भारी व्यय,रू0 70.93 लाख

नगर परिषद, औरंगाबाद के वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के लेखा अभिलेखों की लेखा परीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि शहर की सफाई व्यवस्था कई वर्षों से निजी एजेंसी के जिम्मे है। इसी क्रम में शहर की सफाई व्यवस्था को और दुरूस्त करने के उद्देश्य से पूरे शहर को दो भागों ग्रुप 'A' एवं ग्रुप 'B'में बॉटकर तथा घर– घर कूड़ा संग्रहण एवं अन्य शर्तों के आधार पर 'अभिरूचि की अभिव्यक्ति' के तहत नगर परिषद द्वारा दिनांक 19.12.15 को निविदा आमंत्रित की गयी। निविदा के

२५

आधार पर ग्रुप 'A' के लिए 'सूर्या इंटरप्राइजेज, आरा' एवं ग्रुप 'B' के लिए 'देवा कंस्ट्रक्शन, औरंगाबाद' का चयन किया गया। सूर्या इंटरप्राइजेज, आरा के साथ रू0 6,25,000 प्रतिमाह एवं देवा कंस्ट्रक्शन, औरंगाबाद के साथ रू0 7,15,000 प्रतिमाह की दर से प्रायोगिक रूप से तत्काल तीन माह (01.02.2016 से 30.04.2016 तक) के लिए एकरारनामा किया गया। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अवधि को बढाया जाएगा। यद्यपि शहर की सफाई व्यवस्था पूर्व में कई वर्षों से 'देवा कंस्ट्रक्शन, औरंगाबाद' के जिम्मे है। कार्यदिवस के अनुसार इन एजेंसियों को भुगतान भी किया जा रहा है।

आगे जाँच में पाया गया कि दिनांक 19.12.15 को ही नगर परिषद द्वारा विभिन्न सफाई उपकरणों जैसे, ट्रैक्टर, टेम्पो टीपर, ट्राई साईकिल आदि की खरीद हेतु निविदा निकाली गयी। निविदा के आधार पर विभिन्न एजेंसियों का चयन करते हुए सामग्रियों की खरीद की गयी। इनमें से कुछ सामग्रियों की आपूर्ति की जा चुकी है तथा भुगतान भी किया जा चुका है एवं कुछ का भुगतान किया जाना बाकी है। विवरण निम्नवत् है:—

सामग्री का नाम	कुल सं0	आपूतिकर्ता एजेंसी का नाम	सामग्री की दर प्रति इकाई	कुल भुगतान	चेक सं0/तिथि	अभ्युक्ति
ट्रैक्टर	03	वैष्णवी मिनी ट्रैक्टर ऑटोमोबाईल, औरंगाबाद	7,50,000	22,50,000	476856/ 26.03.16	सामग्री प्राप्त, भुगतान किया गया
		बीमा एवं निबंधन	45,000	1,35,000		भुगतान बाकी
टेम्पो टीपर	06	गया हार्डवेयर मार्ट, गया	5,69,210	34,15,260	476858/ 26.03.16	सामग्री प्राप्त,भुगतान किया गया
		बीमा एवं निबंधन	35,000	2,10,000		भुगतान बाकी
ट्राई साइकिल	20	पैंथर इंफ्रास्ट्रक्चर, पटना	26,105	5,22,100		सामग्री प्राप्त, भुगतान बाकी
हैण्ड कार्ट	10	पैंथर इंफ्रास्ट्रक्चर, पटना	15,436	1,54,360		सामग्री प्राप्त, भुगतान बाकी
		कुल		**66,86,720**		

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि कुल रू0 66,86,720 की खरीद में रू0 56,65,260 का भुगतान भी किया जा चुका है।

उपरवर्णित दोनों एजेंसियों से किए गए एकरारनामा की शर्तों से यह स्पष्ट है कि शहर की संपूर्ण सफाई व्यवस्था इन्ही के जिम्मे है, फिर सफाई उपकरणों की खरीद में इतनी बड़ी राशि व्यय करने की कोई आवश्यकता नही थी। बोर्ड/सशक्त स्थायी समिति की बैठक में भी इस संबंध में कोई स्पष्ट एवं तर्कसंगत निर्णय नही लिया गया। कार्यालय द्वारा मौखिक रूप से यह बताया गया कि इन उपकरणों को उन्ही एजेंसियों को किराए पर देकर राजस्व की प्राप्ति की जा सकेगी। जाँच में यह पाया गया कि पूर्व में देवा कंस्ट्रक्शन, औरंगाबाद को मात्र रू0 290/— प्रति दिन की दर से ट्रैक्टर एवं रू0 200/— प्रतिदिन की दर से टेम्पो किराए पर दिया जाता रहा है।

आगे अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि चालक के लिए नगर परिषद, औरंगाबाद में सिर्फ एक पद (ट्रैक्टर चालक) स्वीकृत है वह भी अभी खाली है। फिर भी 03 ट्रैक्टर की खरीद की गयी। अन्य वाहन चालकों के लिए कोई पद भी स्वीकृत नही है।

उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में पायी गयी अनियमितताएँ निम्नवत् हैः–

1. एक ही समय में समान कार्य के लिए एक तरफ निजी एजेंसियों को रू0 13,40,000 प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है एवं दूसरी तरफ रू0 66,86,720 मूल्य के सफाई उपकरणों की खरीद की गयी जिसमें अंकेक्षण तिथि तक रू0 56,65,260 का भुगतान भी किया जा चुका है।

2. जब साफ–सफाई के लिए निजी एजेंसी को नियुक्त कर लिया गया तब किस योजना/नीति के तहत सफाई उपकरणों की खरीद का निर्णय लिया गया, यह स्पष्ट नही हो पाया।

उत्तर में बताया गया कि नगर निकाय के सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार के तहत डोर–टू–डोर कूड़ा संग्रहण, आउटसोर्स पर सफाई कराने, सफाई उपकरणों की खरीददारी करने, लैंडफिल साईट के लिए भुमि. क्रय/विकास आदि के लिए सरकार द्वारा 13वाँ वित्त आयोग अनुशंसित निधि एवं राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधामद से राशि उपलब्ध करायी जाती है।

बोर्ड की सामान्य बैठक दिनांक 25.07.15 को पारित प्रस्ताव 5 द्वारा उक्त प्राप्त निधि से ट्रैक्टर, टेम्पो–टीपर, फॉगिंग मशीन आदि क्रय करने की स्वीकृति प्राप्त है।

आउटसोर्सिंग के साथ सम्पन्न एकरारनामा की कंडिका 9 में नगर परिषद के सफाई उपकरणों का किराया पर उपयोग करना बाध्यकारी होगा, प्रावधानित है।

वर्तमान में आउटसोर्सिंग पर सफाई चल रहा है। परन्तु यह आवश्यक नही है कि भविष्य में यही व्यवस्था लागू हों तब नगर परिषद को इन उपकरणों कि नितान्त आवश्यकता पड़ेगी।

उत्तर मान्य नही है, क्योंकि आपत्ति क्रय करने की प्रक्रिया पर नही की गयी है, बल्कि क्रय नीति पर की गयी है। दूसरी तरफ, भविष्य में आउटसोर्सिंग व्यवस्था नही रहेगी यह सोचकर आज ही सामग्रियों की खरीद कर रख लेना तर्कसंगत नही है। पूर्व में देखा गया है कि किराए से मामूली राजस्व की प्राप्ति होती है। ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी खरीद तर्कसंगत नही है। अतः वर्तमान परिस्थितियों में उपकरणों की खरीद पर किया गया व्यय रू0 56,65,260 को अनावश्यक माना जा सकता है एवं भविष्य में निष्फल होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

कंडिका(3)–प्रावधान के विपरीत एकल निविदा के आधार पर ट्रैक्टर क्रय, रू0 23.85 लाख

बिहार वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 131L में एकल निविदा से संबंधित वर्णित प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई खास फर्म ही आवश्यक सामग्री का निर्माण करती है या किसी खास फर्म से ही सामग्री की खरीद करना अत्यावश्यक है (इसके लिए उपयुक्त कारण तथा सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन आवश्यक है) तो वैसी स्थिति में एकल निविदा के माध्यम से सामग्री की खरीद की जा सकती है। लोक निर्माण विभाग

संहिता में वर्णित प्रावधान के अनुसार एकल निविदा की स्थिति में अपने से एक उपर के पदाधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है।

नगर परिषद, औरंगाबाद के वर्ष 2014–15 से 2015–16 तक के लेखाओं की लेखा परीक्षा के क्रम में सामग्री खरीद से संबंधित अभिलेखों की जाँच की गयी। बोर्ड की बैठक दिनांक 25.07.15 तथा सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.09.15 में लिए गए निर्णय के आलोक में दिनांक 19.12.15 में ट्रैक्टर समेत कई सामग्रियों की खरीद हेतु निविदा निकाली गयी। निविदा में ट्रैक्टर के लिए किसी खास कंपनी या विशिष्टताओं का जिक्र नही किया गया था। निविदा में शामिल फर्म के तकनीकी निविदा के आधार पर दिनांक 20.01.16 को तुलनात्मक विवरणी तैयार की गयी। तत्पश्चात् दिनांक 30.01.16 को निविदा समिति की बैठक में वित्तीय आधार पर विभिन्न सामग्रियों हेतु एजेंसी/फर्म का चयन किया गया। इस प्रक्रिया में यह देखा गया कि ट्रैक्टर आपूर्ति हेतु सिर्फ एक ही फर्म वैष्णवी मिनी ट्रैक्टर ऑटोमाबाईल, औरंगाबाद के शामिल होने के कारण उसी का चयन किया गया। एकल निविदा के आधार पर चयन के संबंध में कोई स्पष्ट कारण या तर्क नही दिया गया था तथा न ही दुबारा निविदा निकाली गयी। इस हेतु सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति भी नही ली गयी थी।

इतनी बड़ी खरीद में आपूर्तिकर्ता के साथ कोई एकरारनामा नही किया गया था। दिनांक 27.02.16 को उक्त फर्म को रू0 7,50,000 प्रति इकाई की दर से 03 ट्रैक्टर की आपूर्ति हेतु आदेश दिया गया। दिनांक 08.03.16 को फर्म द्वारा 03 ट्रैक्टरों की आपूर्ति कर दी गयी। चेक सं0 476856 दिनांक 26.03.16 के माध्यम से रू0 22,50,000 का भुगतान फर्म को कर दिया गया। फर्म द्वारा दिनांक 12.03.16 को 03 ट्रैक्टरों के निबंधन एवं बीमा मद में रू0 45,000 प्रति इकाई की दर से रू0 1,35,000 की माँग की गयी, चूँकि निविदा में निबंधन एवं बीमा का जिक्र नही किया गया था परतुं आपूर्ति आदेश में इसे शामिल कर दिया गया था। कार्यालय स्तर से इसकी स्वीकृति भी दे दी गयी, यद्यपि इसका भुगतान अभी तक नही हुआ है। ट्रैक्टर प्राप्ति के पश्चात् निविदा की शर्त के अनुरूप गुणवत्ता जाँच नहीं की गयी थी फिर भी भुगतान कर दिया गया। भंडार पंजी में भी इसकी प्रविष्टि नही की गयी थी। इसके अलावा निविदा की शर्त के अनुरूप आपूर्तिकर्ता को भुगतेय राशि का 10 प्रतिशत सुरक्षित जमा के रूप में वारंटी अवधि या आपूर्ति तिथि के एक वर्ष (दोनों में से जो बाद में हो) तक रखना है ताकि इस अवधि में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं के खर्च पर इसका निवारण किया जा सके। आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने निविदा में क्रय तिथि से 2 वर्ष के गारंटी की बात कही गयी है। इस प्रकार कुल भुगतेय राशि रू0 23,85,000 (22,50,000 + 1,35,000) का 10 प्रतिशत अर्थात् रू0 2,38,500 की कटौती कर भुगतान किया जाना चाहिए था जो नही किया गया।

संचिका के अवलोकन से यह कही स्पष्ट नही था कि ट्रैक्टर की खरीद की तत्काल आवश्यकता थी या तुरन्त खरीद नही किए जाने से शहर की साफ–सफाई प्रभावित होती या किसी खास कंपनी के ट्रैक्टर की किसी खास काम के लिए खरीद जरूरी था। वैसे भी शहर की सफाई व्यवस्था काफी पहले से ही निजी एजेंसी के हवाले किया जा चुका है।

उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में पायी गयी अनियमितताएँ निम्नवत् है:–

1. एकल निविदा के आधार पर ट्रैक्टर की खरीद की गयी। अधिक से अधिक फर्म को शामिल करने के उद्देश्य से दुबारा निविदा नही निकाली गयी,
2. यदि एकल निविदा के आधार पर ही खरीद की जानी थी तो इसके लिए आवश्यक प्रक्रियाओं/शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए था, जो नही किया गया,
3. आपूर्तिकर्ता के साथ एकरारनामा नहीं किया गया,
4. निविदा की शर्त 03 और 08 के अनुसार कुल भुगतेय राशि का 10 प्रतिशत अर्थात् रू0 2,38,500 सुरक्षित जमा के रूप में काट कर भुगतान किया जाना था, परन्तु ऐसा नही किया गया,
5. प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खरीद पर किए गए व्यय रू0 22,50,000 एवं किए जाने वाले व्यय रू0 1,35,000 (बीमा एवं निबंधन शुल्क) को अनियमित माना जा सकता है।

उत्तर में बताया गया कि दैनिक समाचार पत्रों में सफाई उपकरणों तथा एल0ई0डी0 लाईट क्रय हेतु खुला निविदा प्रकाशित किया गया था जिसके क्रम में कुल 16 निविदादाताओं द्वारा निविदा प्रस्तुत किया। इनमें तकनीकी रूप से ट्रैक्टर हेतु केवल एक निविदादाता वैध पाया गया। तत्पश्चात् इसे एक स्टेज उपर सशक्त स्थायी समिति की बैठक दि0 22.02.16 में रखकर अनुमोदन प्राप्त किया गया है। इसके क्रय में अनियमितता नही बरती गयी गयी है।

ट्रैक्टर का क्रय सरकार द्वारा सफाई व्यवस्था में सुधार हेतु प्राप्त निधि और निदेश के आलोक में किया गया है।

इस संदर्भ में यह भी सूचित करना है कि तत्कालीन सचिव एस0 जलजा ने भी विभागीय समीक्षात्मक बैठक में यह निदेशित करने की कृपा की थी कि तत्संबंधी में बार–बार निविदा कराने से समय और लोकनिधि का दुरूपयोग होता है।

उत्तर मान्य नही है, क्योंकि सशक्त स्थायी समिति स्थानीय निकाय का ही एक भाग है, फलस्वरूप उसका अनुमोदन काफी नही है। इसके अलावा अनियमितता के अन्य बिन्दुओं पर कोई जवाब नही दिया गया। समुचित जवाब दिए जाने तक व्यय की गई राशि रु 2250000 आपत्ति के अधीन रखी जाती है ।

कंडिका(4)–मोबाईल टावर कंपनियों के पास राशि बकाया, रू0 16.80 लाख

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावर एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012 दिनांक 8.10.12 को अधिसूचित किया गरा है।

उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार, नगर परिषद में पंजीकरण शुल्क रू0 40,000 प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क रू0 10000 प्रतिवर्ष प्रति टावर निर्धारित किया गया है। नियम 6(1) के अनुसार उपर्युक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाईल टावरों को भी उपरवर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्ष की संख्या के आधार पर लिया जाएगा। इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया है कि पंजीकरण शुल्क आवेदन स्वीकृति के 30 दिनों के भीतर तथा

नवीकरण शुल्क प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को भुगतान किया जाना है। यदि ऐसा नही किया जाता है तो बकाया राशि के 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नगर परिषद द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत विवरणी एवं संबंधित पंजी (एकरारनामा आदि से संबंधित संचिका प्रस्तुत नही किया गया) की जाँच में पाया गया कि नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न कंपनियों के कुल 35 मोबाईल टावर अधिष्ठापित थे। इन कंपनियों के पास अंकेक्षण तिथि तक पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क मद में कुल रू0 16,80,000 बकाया थी। आगे जाँच में पाया गया कि रिलायंस एवं एयरटेल के दो टावर ऐसे थे, जो क्रमशः वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में अधिष्ठापित किए गए थे, परंतु उनके विरूद्ध अंकेक्षण तिथि तक न तो पंजीकरण शुल्क एवं न ही नवीकरण शुल्क जमा कराया गया था। इसके अलावा 13 टावरों के मामले में अधिष्ठापन से अब तक नवीकरण शुल्क मद में कोई राशि जमा नही कराई गयी थी जबकि इनका अधिष्ठापन 02 से 08 वर्ष पूर्व किया गया था।

नियमानुसार, इन टावरों के मामले में निर्धारित दर से ब्याज की वसूली की जानी चाहिए थी। इसके अलावा यदि कंपनियों द्वारा भुगतान नही किया जाता है तो वैसी स्थिति में नगरपालिका द्वारा टावर को सील कर देना चाहिए था परन्तु ऐसा नही किया गया।

उपरोक्त नियमावली के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष के बाद नवीकरण शुल्क में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए परंतु उपलब्ध कराए गए पंजी की जाँच में पाया गया कि इस प्रकार की कोई वृद्धि नही की गयी थी। बकाया राशि रू0 16,80,000 में ब्याज एवं बढ़े हुए नवीकरण शुल्क की राशि शामिल नही है। इसे शामिल करने के बाद बकाया राशि में और वृद्धि हो सकती है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि नगर परिषद कार्यालय द्वारा मोबाईल टावर से संबंधित बकाया वसूली में शिथिलता बरती गयी तथा वसूली हेतु कोई ठोस प्रयास नही किया गया जिसके कारण ही आज तक नगर परिषद कम से कम रू0 16,80,000 से वंचित है।

उत्तर में बताया गया कि नगर परिषद में कर्मचारियों की भारी कमी है। फिर भी समय–समय पर बकाया जमा करने हेतु मोबाईल कंपनियों को सूचना दी गयी है। कई कंपनियों का पता बदल जाने के कारण उन पर नोटिस तामिला नही हो पाता है। फिर भी वसूली का प्रयास किया जा रहा है।

उत्तर मान्य नही है, क्योंकि जब पता ही मालूम नही है तो बकाये की वसूली कैसे होगी। नियमावली के अनुसार विपरीत परिस्थितियों में टावर को सील करने का भी अधिकार नगर निकायों को दिया गया है। सील करने की कार्रवाई होने पर स्वतः ही सभी कंपनियाँ नियमानुसार कार्य करती, जो नहीं किया गया।

कंडिका 5 – सैरात बंदोबस्ती (राजस्व हानि)

सैरातों से सम्बंधित कोई भी पंजी/सूची लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। संचिका में संलग्न सूची के अनुसार निम्न सैरातों की बंदोबस्ती की सूचना दी गयी –

क्रं० सं०	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा	
		2014-15	2015-16
1.	रामाबांध बस स्टैंड एवं दानी बिगहा बस स्टैंड को छोड़कर शहर में परिचालित टेम्पो एवं अन्य वाहनों से दैनिक चुंगी कर की वसूली	9,00,000	14,00,000
2.	नगर थाना के सामने जी० टी० रोड से उत्तर सब्जी मंडी तथा पोस्ट ऑफिस के सामने पुरानी सब्जी मंडी, दैनिक शुल्क वसूली	2,25,000	2,25,000
3.	गीतिका होटल के सामने पार्किंग, व्यवहार न्यायालय गेट के पास और प्रधान डाकघर गेट के पश्चिम मोटर साईकिल पार्किंग से दैनिक पार्किंग शुल्क की वसूली	2,88,000	2,88,000

संचिका के अवलोकन से यह पाया गया कि वर्ष 2014-15 की अवधि में एकमात्र क्रं सं 1 की बंदोबस्ती 14,00,000 में की गयी, लेकिन डाकधारी से मुद्रांक शुल्क 3% 42,000 का पेपर जमा नहीं कराया गया, इस प्रकार सरकार के सम्बंधित विभाग को उक्त राशि की राजस्व हानि तथा परिषद् निधि को कम से कम 5,13,000 की हानि उठानी पड़ी। साथ ही, डाकधारी के साथ किसी प्रकार का इकरारनामा नहीं किया गया, लेकिन वसूली का परवाना/आदेश किस प्रकार निर्गत किया गया, यह स्पष्ट नहीं था।

2 वर्ष 2015-16 की अवधि में उपर्युक्त क्रं सं 1 एवं 2 की बंदोबस्ती क्रमशः 14,02,500 एवं 2,30,000 में की गयी तथा इसमें भी मुद्रांक शुल्क 48,975 की राजस्व हानि सरकार को तथा बंदोबस्ती नहीं होने के कारण परिषद् निधि को 2,88,000 की न्यूनतम राशि की राजस्व हानि उठानी पड़ी।

उपर्युक्त परिस्थितियों से स्पष्ट है कि बंदोबस्ती हेतु गंभीरता से प्रयास नहीं किया गया, अर्थात विस्तृत प्रचार प्रसार नहीं किया गया, जिसके कारण राजस्व की हानि हुई तथा सरकार के निर्देश के बावजूद भी मुद्रांक शुल्क के रूप में मुद्रांक पेपर जमा नहीं कराया गया।

उत्तर में बताया गया कि सैरात बन्दोबस्ती हेतु दैनिक समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करायी गयी तथा स्थानीय स्तर पर पूर्व के बन्दोबस्तदारों को भी सूचना तामिला कराकर एवं स्थानीय प्रशासनिक कार्यालयों के सूचनापट्ट पर प्रकाशित कराकर विस्तृत प्रचार प्रसार किया गया है। 3 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क राशि रु 90975 (42000+48975) की वसूली की कार्रवाई कर राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय।

जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि सैरात बन्दोबस्ती हेतु गंभीर प्रयास किये जाने चाहिए थे। बन्दोबस्ती नहीं किए जाने की स्थिति में विभागीय वसूली किया जाना चाहिए जिसके संबंध में कुछ नहीं कहा गया। इस प्रकार रु 8,01,000 (513000+288000) की हानि हुई।

कंडिका (6)–सफाई व्यवस्था हेतु एजेंसी के चयन में अनियमितता, अधिक भुगतान रू0 6.75 लाख

बिहार वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 131Z से 131ZC में 'अभिरूचि की अभिव्यक्ति' से संबंधित वर्णित प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय एवं तकनीकी निविदा आमंत्रित करने से पहले कराए जाने वाले कार्य की संक्षिप्त जानकारी देते हुए अखबार में 'अभिरूचि की अभिव्यक्ति ' की सूचना दिया जाना चाहिए। तत्पश्चात् चयनित निविदादाताओं/एजेंसी को इस कार्य हेतु आवश्यक योग्यताओं एवं किए जाने वाले कार्यो आदि के विवरण के साथ एक प्रस्ताव (Request for proposal) निर्गत किया जाना चाहिए। इसके बाद वित्तीय एवं तकनीकी निविदा आमंत्रित किया जाना चाहिए।

209

नगर परिषद, औरंगाबाद के वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा के क्रम में शहर की साफ– सफाई के लिए चयनित निजी एजेंसी से संबंधित संचिका की जाँच की गयी।

जाँच में पाया गया कि नगर परिषद के पत्रांक 2254/04.10.13 के माध्यम से 'अभिरूचि की अभिव्यक्ति' हेतु सूचना दी गयी थी। यद्यपि यह सूचना किस अखबार में निकाली गयी थी इसका साक्ष्य संचिका में नही पाया गया। उक्त पत्र में किए जाने वाले कार्य का कोई विवरण नही पाया गया। इसके विपरीत एजेंसियों/संस्थाओं से ही उनकी कार्ययोजना की माँग की गयी। उपरोक्त सूचना के आलोक में छः एजेंसियों ने निविदा में भाग लिया। कार्यालय द्वारा तैयार की गयी तुलनात्मक विवरणी एवं संबंधित कागजातों के आधार पर अंतिम रूप से तीन एजेंसियों/संस्थाओं का चयन किया गया। स्टारवे इन्टरनेशनल फाउंडेशन, पटना का दर सबसे कम रू0 4,12,000 था। इसके अलावा सुमित्रा सामाजिक सेवा संस्थान, मसौढ़ी का दर रू0 4,39,000 एवं देवा कंस्ट्रक्शन, औरंगाबाद का दर रू0 4,70,000 था। अन्य तीन का अधिक दर एवं कार्ययोजना के अभाव में चयन नही किया गया।

जाँच में पाया गया कि उक्त तीनों चयनित संस्थाओं से वार्ता करने हेतु दिनांक 06.11.13 को सशक्त स्थायी समिति की बैठक बुलाई गयी। बैठक में भाग लेने हेतु तीनों संस्थाओं को कोई लिखित सूचना नही दी गयी थी। कार्यवाही पंजी के अनुसार, माबाईल पर बैठक की सूचना दी गयी थी। बैठक में स्टारवे इन्टरनेशनल फाउंडेशन, पटना का कोई प्रतिनिधि भाग नही ले सका। इसी आधार पर उसे निविदा प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। देवा कंस्ट्रक्शन को सुमित्रा सामाजिक सेवा संस्थान, मसौढ़ी की दर पर ही उसकी कार्ययोजना से बेहतर बताते हुए चयनित किया गया एवं दिनांक 11.12.13 को, दिसं0 2013 से नवं 2014 तक की अवधि के लिए एकरारनामा किया गया। जबकि पूर्व में दिनांक 27.08.12 को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा यह कहते हुए विरोध किया गया था कि देवा कंस्ट्रक्शन द्वारा पूर्व में संतोषप्रद कार्य नही किए जाने के कारण इसे कार्य से हटा दिया गया था। इसके बावजूद उक्त संस्था का चयन किया गया तथा इस अवधि की समाप्ति के पश्चात् पुनः देवा कंस्ट्रक्शन, औरंगाबाद के साथ इसी दर पर अगले एक वर्ष के लिए दिनांक 02.01.15 को एकरारनामा किया गया। इसके लिए न ही बोर्ड एवं सशक्त स्थायी समिति से अनुमोदन लिया गया और न ही 'अभिरूचि की अभिव्यक्ति' हेतु कोई सूचना निकाली गयी।

उपरवर्णित तथ्यों के आलोक में कई अनियमितताएँ पाई गयी, जो निम्नवत् हैः–

1. निविदा में शामिल एवं तुलनात्मक विवरणी के अनुसार सबसे कम दर वाले स्टारवे इन्टरनेशनल फाउंडेशन, पटना का चयन अंतिम रूप से नही किया गया,
2. बिहार वित्तीय नियमावली में 'अभिरूचि की अभिव्यक्ति' से संबंधित नियमों में निविदादाताओं से वार्ता का कोई प्रावधान नही है, इसके बावजूद वार्ता की प्रक्रिया अपनायी गयी,
3. यदि वार्ता किया जाना नगर परिषद के हित में अत्यावश्यक था तो निविदा में शामिल सबसे कम दर वाले स्टारवे इन्टरनेशनल फाउंडेशन, पटना को शामिल करने का सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए था जो नही किया गया जबकि उसका दर अन्य से रू0 27,000 प्रतिमाह कम था। ऐसी स्थिति में उक्त संस्था से दुबारा

संपर्क करने का प्रयास भी नही किया गया। लिखित सूचना न देकर सिर्फ मोबाईल पर वार्ता में भाग लेने हेतु सूचना देने की बात करना नगर परिषद को वित्तीय लाभ दिलाने के प्रति उदासीनता तथा किसी खास को फायदा पहुँचाने की मंशा को दर्शाता है।

4. देवा कंस्ट्रक्शन, औरंगाबाद को दिसं0 2013 से दिसं0 2015 तक कुल 25 माह के लिए रू0 4,39,000 प्रतिमाह की दर से रू0 1,09,75,000 का भुगतान किया गया। यदि स्टारवे इन्टरनेशनल फाउंडेशन, पटना का चयन किया गया होता तो इसी अवधि में मात्र रू0 4,12,000 की दर से रू0 1,03,00,000 का भुगतान करना पड़ता। इस प्रकार कुल 6,75,000 का अधिक भुगतान करना पड़ा।

5. देवा कंस्ट्रक्शन, औरंगाबाद के साथ दिसं0 2013 से नवं 2014 तक की अवधि के लिए एकरारनामा किया गया था। पुनः बिना बोर्ड या सशक्त स्थायी समिति के अनुमोदन के अगले एक वर्ष के लिए एकरारनामा कर लिया गया एवं उस वक्त भी स्टारवे इन्टरनेशनल फाउंडेशन, पटना से इस हेतु संपर्क नही किया गया,

उत्तर में बताया गया कि स्टारवे इन्टरनेशनल फाउन्डेशन द्वारा सफाई से संबंधित माँगा गया कार्य योजना में 'नगर परिषद के आदेशानुसार सफाई करूँगा' अंकित था। काम करने हेतु अपना कार्य योजना प्रस्तुत नही किया गया था। इसे निविदा सूचना के प्रतिकूल पाए जाने के कारण सशक्त स्थायी समिति ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करके अन्य निविदादाता से निगोशियेशन किया था।

ससमय निविदा प्रक्रिया आरम्भ नही होने के कारण कार्यहित में सफाई उपसमिति की अनुशंसा और मुख्य पार्षद के निदेश पर दिसंबर 2014 के बाद से अवधि विस्तार किया गया था ताकि शहर की सफाई कार्य प्रभावित नही हो और नगर परिषद पर अन्यधिक वित्तीय भार भी न बढ़े।

उत्तर मान्य नही है, क्योंकि स्टारवे इंटरनेशनल को जिस आधार पर निविदा से बाहर किया गया था वह 'अभिरूचि की अभिव्यक्ति' से संबंधित उपरवर्णित प्रावधानों के बिल्कुल विपरीत था।

कंडिका (7)– विद्युत विपत्र का नियमित भुगतान नहीं किये जाने के कारण अतिरिक्त दायित्व का सृजन राशि रु 16.49 लाख

सम्बंधित संचिका के अवलोकन से यह पाया गया कि वर्ष 2012 में विद्युत विभाग द्वारा कुल 10 की संख्या में विद्युत कनेक्शन के विरुद्ध बकाया विपत्र 1,18,89,457.38 विलंबित अधिभार भुगतान 1,28,53,023.52 कुल 2,47,42,480.90 का विपत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 20.09.2012 को नगर परिषद् द्वारा 44,38,558.40 होल्डिंग टैक्स की माँग की गयी। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को डी०पी०एस० की राशि छोड़कर तथा होल्डिंग टैक्स बकाया का समायोजन कर विपत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। चेक सं० A 640694 दिनांक 12.12.2012 द्वारा 32,46,970 का भुगतान किया गया, जिसमें विलम्ब भुगतान अधिभार 9,92,872 सम्मिलित था।

ध्यातव्य है कि उक्त 9 स्थलों में समाहरणालय, सर्किट हाउस एवं थाना परिसर भी सम्मिलित था, जिसका विपत्र क्रमशः 2,21,921.19, 2,21,921.19 एवं 2,11,999.64 सम्मिलित था। पुनः चेक सं० A 729028 दिनांक 14.03.13 द्वारा 27,96,561 का भुगतान किया गया। चेक संख्या 353400 दिनांक 23.08.13 द्वारा पुनः 25,86,380 का भुगतान विद्युत विभाग को किया गया, चेक संख्या A 729831 दिनांक 23.08.13 द्वारा 12,41,916 का भुगतान